

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2019/ 250

दिनांक 24/5/19

—: आदेश :—

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से वर्ष 2015-16 व 2017-18 मे चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की लेवल इन पे मेडिक एल-14 स्वीकृत की जाती है :-

क्र.स	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि अ के पद पर परीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1	डॉ. शिवा	01 07 1985	19 01.2018 A/N	19.01 2019	20 01 2019
2	डॉ. देवेन्द्र सिंह	26.01 1985	19.01.2018 A/N	19 01 2019	20 01 2019
3	डॉ अभिमन्यु सिंह	18 10.1989	06 10 2017	05 10.2018	06 10.2018
4	डॉ डिम्पल गोयल	03.09 1989	07.04 2017	06 04.2018	07 04 2018
5	डॉ मिनाक्षी गहरवाल	01 03.1990	14 07 2017	13 07.2018	14 07 2018
6	डॉ रवि शर्मा	16.10.1989	09 10 2017	08 10 2018	09 10 2018
7	डॉ. अशोक कुमार	01.08.1990	27.07.2017	26.07 2018	27.07 2018
8	डॉ वेद प्रकाश	05.03 1986	12 08 2017	11 08.2018	12 08 2018
9	डॉ. हेमराज सैनी	24 09 1989	20 04 2018	19 04 2019	20 04 2019
10	डॉ. अशोक कुमार धाकड	27 04 1992	25.07 2017	24 07 2018	25 07 2018
11	डॉ अरविन्द कुमार मौर्य	19 07 1990	27.07.2017	26.07.2018	27 07 2018
12	डॉ धीरज मीणा	10 05.1992	21.07 2017	20.07.2018	21 07 2018
13	डॉ तुषार द्विवेदी	19.01.1991	17 07 2017	16.07.2018	17 07 2018
14	डॉ सुमन सिंह	27 08.1991	09 01 2018	08.01.2019	09 01.2019
15.	डॉ. घनश्याम बलाई	01 01 1986	26 07.2017	25.07.2018	26 07 2018

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक. राजपत्रित/डीपीसी/2019/ 250

दिनांक 24/5/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है .-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर